

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM

सं.का.स्था(हक.)/लेखापरीक्षा-I/21-22
No. OE(Entt)/Audit I/2020-21/TA

दिनांक: 19.04.2021
Date: 19-04-2021

परिपत्र/CIRCULAR No. 04

विषय: सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता ।

Sub: Travelling allowance on retirement.

भारत सरकार (1) केन्द्रीय मूलभूत पूरक नियम भाग II, के निम्न पूरक नियम 147 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को सेवानिवृत्ति पर उनके गृह नगर या उस स्थान पर, जहां उन्हें एवं उनके परिवार को स्थायी रूप से बसना है, यात्रा करने हेतु यात्रा भत्ता स्वीकार्य है । सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता का दावा करने के इच्छुक सभी पदाधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है ।

As per GOI(1) below SR 147 of FRSR Part II, travelling allowance is admissible in respect of the journey of the Government servant and members of his family on retirement to his home town or to the place where he and his family is to settle down permanently. All the officials who wish to claim travelling allowance on retirement are directed to observe the following instructions.

1. पदाधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों को अपनी पेंशन के पेपर में सेवानिवृत्ति के बाद के पते के रूप में उल्लिखित स्थान की यात्रा करनी होगी ।
2. पेंशन पेपर में उल्लिखित सेवानिवृत्ति के पूर्व का पता एवं सेवानिवृत्ति के बाद का पता सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता का दावा करने के लिए समान नहीं होना चाहिए ।
3. एक बार अपने पेंशन पेपर में अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सेवानिवृत्ति के बाद के पते को अंतिम माना जाएगा चाहे वह सेवानिवृत्ति या.भ. या अन्य उद्देश्यों के लिए हो, जब तक कि असाधारण मामलों में कोई उचित औचित्य न हो और इस कार्यालय द्वारा उसमें बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।
1. The official and his/her family members have to travel to the location mentioned as the post retirement address in their pension papers.
2. Pre retirement address and post retirement address mentioned in the pension papers should not be the same for claiming travelling allowance on retirement.
3. Post retirement address once provided by the official in his/her pension papers shall be treated as final and no change in it will be entertained by this office whether it is for retirement TA or other purposes unless in exceptional cases where there are sufficient reasons to justify it.

(वरि.उ.म.ले (प्रशा.) के दिनांक 16-04-2021 के आदेशानुसार)

(Vide orders dated 16-04-2021 of Sr. DAG (Admn.))

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/(हक)/लेखापरीक्षा I
Senior Audit Officer/ (Entt)/Audit I